मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन– मंत्रालय–भोपाल

क्रमांक / एफ.11 / 1 / 2008 / नियम / चार, भोपाल, दिनांक 07.11. 2009

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषयः– मध्य प्रदेश राज्य की सिविल सेवा के सदस्यों को सेवा में आगे बढ़ने के निश्चित अवसर उपलब्ध कराये जाने हेतु समयमान वेतन (Time Scale Pay) उपलब्ध कराने बावत ।

संदर्भ– वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ–11 / 1 / 2008 / नियम / चार दिनांक 24 जनवरी, 2008 एवं समसंख्यक परिपत्र दिनांक 1.4.2008,4.8.2008 एवं 17.9. 2009

–0–

राज्य की सिविल सेवा के सदस्यों को सेवा में आगे बढ़ने के निश्चित अवसर उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ–11 / 1 / 2008 / नियम / चार दिनांक 24 जनवरी, 2008 द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 11/1/2008/नियम/चार, दिनांक 24 जनवरी, 2008 में चतुर्थ श्रेणी (वर्ग -द) के कर्मचारियों को समयमान वेतन देय नहीं था ।

2/ अतः निर्णय लिया गया है कि चतुर्थ श्रेणी के ऐसे कर्मचारियों को जिनके भर्ती नियमों में सीधी भर्ती से नियुक्ति का प्रावधान है, को भी समयमान वेतन योजना दिनांक 1-4-2006 से लागू की जाये । दिनांक 1-4-2006 से 31-8-2008 तक की अवधि के दौरान पात्रता आने पर निम्न तालिकानुसार समयमान वेतन स्वीकृत किया जाये :-

स. क्र.	प्रारम्भिक वेतनमान	12 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर प्रथम उच्चतर वेतनमान	24 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर द्वितीय उच्चतर वेतनमान
1.	2550-55-2660-60-3200	2610-60-3150-65-3540	2750-70-3800-75-4400
2.	2610-60-3150-65-3540	2750-70-3800-75-4400	3050-75-3950-80-4590
3.	2750-70-3800-75-4400	3050-75-3950-80-4590	3500-80-4700-100-5200

दिनांक 1-9-2008 से मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 में उल्लेखित तत्स्थानी वेतन बैंड एवं ग्रेड पे में वेतन निर्धारण किया जाएगा ।

3/ उपरोक्त कंडिका–2 में दर्शित समयमान वेतन स्वीकृत करने के पूर्व विभागों द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित सेवा भर्ती नियमों में इन संवर्गो/पदों हेतु सीधी भर्ती का प्रावधान है ।

4/ दिनांक 1-4-2006 अथवा इसके पश्चात् स्वीकृत समयमान वेतन में दिनांक 31-8-2008 तक एरियर्स की राशि का भुगतान म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम, 1998 के अंतर्गत प्राप्त वेतन के आधार पर तथा दिनांक 1-9-2008 से म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 के अंतर्गत देय होगा ।

5/ वित्त विभाग के संदर्भित परिपत्र कमांक.एफ–11/1/2008/नियम/चार दिनांक 24 जनवरी, 2008, समसंख्यक परिपत्र दिनांक 01 अप्रैल, 2008, 4 अगस्त, 2008 तथा 17 सितम्बर 2009 में निहित प्रावधान यथास्थिति लागू होगें ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मिलिन्द वाईकर)
उप सचिव
म0प्र0 शासन, वित्त विभाग

पृष्ठा.क्रमांक :एफ 11/1/2008/नियम/चार भोपाल, दिनांक 07.11. , 2009

प्रतिलिपिः-

1- राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3- निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5- सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6- सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7- निज सचिव / निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8- मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9- सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10- रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल /जबलपुर/इंदोर/ग्वालियर ।
11- महाधिवक्ता / उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल / इंदौर/ ग्वालियर ।
12- महालेखाकार (लेखा ओर हकदारी / (आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर / भोपाल ।
13- अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल / माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14- प्रमुख सचिव / सचिव / उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15- आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
16-नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की और राजपत्र में प्रकाशन के लिए,
17- अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग(स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
18- मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्राालय, भोपाल
19- समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
20- सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
21- संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
22- अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-84, मंत्रालय, भोपाल
23- अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
24- सभी कोषालय अधिकारी / उप कोषालय अधिकारी
25- गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

(डी.के. सक्सैना)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग